Main Attachment -1.5

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी योजना के अन्तर्गत दरमोली – पिठौली मोटर मार्ग का निमार्ण ।(लम्बाई 2.000 किमी)

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या

जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी योजना के अन्तर्गत दरमोली–पिठौली मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 किमी0 कार्य की स्वीकृति शासना देश संख्या 827/।।।–2/06–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 (एस0सी0पी0) दिनांक 28.03.2006 के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू–भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम दरमोली एवं पिठोली क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गॉवो से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गॉव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। यह मोटर मार्ग क्वारब मोना, सरगाखेत मेाटर मार्ग के किमी0 26 पोखरा नामक सीन के पास से ग्राम दरमोली मल्ला पिठोली तक 2.00 किमी0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है ।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही नयी योजनो के बारें मे प्रचार प्रसार हेतु इन गावों मे अधिकारी/कर्मचारी आदि संसस्थो को यातायात की सुविधा होगी, जिससे प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सकेगा। साथ ही स्थानीय ग्रामिणों को गैस आदि आवश्यकता प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिससे जंगलों को बचाये जाने में मदत मिलेगी। मार्ग के संरेखण में कुल 1.19 है0 वन भूमि प्रभावित होती है, जो वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि राज्य सरकार की है। जिसमें विभिन्न व्यास के कुल 217 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नही हो रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग वनाछाति है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोगा के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः 2.00 किमी0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (वन पंचायत लम्बाई–1690मी0) एवं (सिविल सोयम लम्बाई–10मी0) कुल लम्बाई 1700 मीटर में प्रभावित होने वाली 1.19 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 83 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।